

नागरिक बैंक विदिशा ने लिया हुकमचंद के मकान का कब्जा

नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित विदिशा द्वारा आज उनके एक कालातीत ऋणी हुकमचंद अहिरवार के मकान का भौतिक आधिपत्य लिया गया । माननीय जिलाधीश महोदय के आदेश के पालन में अतिरिक्त तहसीलदार श्री अमित सिंह द्वारा हुकमचंद अहिरवार को एक नोटिस जारी कर 15 दिन में राशि जमा करने का आदेश दिया गया था । आदेश पालन में विफल रहने पर तहसीलदार महोदय के आदेश की पालना में आर आई श्री शौर्य प्रताप सिंह द्वारा कागदीपुरा, मेघदूत टाकीज के सामने विदिशा स्थित हुकमचंद के मकान का पंचनामा बनाया गया एवं मकान को सील कर उसकी चाबियां नागरिक बैंक के अधिकारी वैभव जैन को सुपुर्द की गईं । अब भी यदि 15 दिन के अंदर ऋणी हुकमचंद द्वारा ऋण राशि जमा नहीं की जाती है तो मकान की सार्वजनिक नीलामी कर ऋण की वसूली की जावेगी ।

संवाददाता महोदय की ओर प्रकाशनार्थ